



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072026-274038  
CG-DL-E-03072026-274038

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3469]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2026/आषाढ 11, 1948

No. 3469]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2026/ASHADHA 11, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2026

का.आ. 3604(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब राज्य में प्रवृत्त पंजाब व्यवसाय करने का अधिकार अधिनियम, 2020 (2020 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 1) का विस्तार संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ पर निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन करती है, अर्थात् :—

उपान्तरण

संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ पर इस प्रकार विस्तारित पंजाब व्यवसाय का अधिकार अधिनियम, 2020 (जिसे इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) में—

1. उक्त अधिनियम की धारा 1 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —

(1) इस अधिनियम का नाम पंजाब व्यवसाय का अधिकार अधिनियम, 2020 (संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ पर विस्तारित) होगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।"

2. सम्पूर्ण उक्त अधिनियम में, जहाँ अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न हो,—

- (क) जहाँ कहीं "राज्य " तथा "पंजाब " शब्द आए हैं, वहाँ उनके स्थान पर "संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे;
- (ख) जहाँ कहीं "राज्य सरकार ", "सरकार " तथा "पंजाब राज्य की सरकार " शब्द आए हैं, वहाँ उनके स्थान पर "प्रशासक, संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे;
- (ग) जहाँ कहीं "जिला नोडल अभिकरण " शब्द आए हैं, वहाँ उनके स्थान पर "चण्डीगढ़ उद्यम एवं निवेश ब्यूरो" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे;
- (घ) जहाँ कहीं " पंजाब प्रदूषण नियंत्रण समिति " शब्द आए हैं, वहाँ उनके स्थान पर "चण्डीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे।

3. उक्त अधिनियम की धारा 2 में—

- (क) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—
- (ख) "अनुमोदित औद्योगिक पार्क" से औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक फोकल प्वाइंट, औद्योगिक संपदा, मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र अथवा क्षेत्र, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, जैव-प्रौद्योगिकी पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, औद्योगिक नगरी, विकास केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण पार्क अथवा ऐसा कोई अन्य समरूप परियोजना, जिसे चण्डीगढ़ प्रशासन अथवा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो;" अभिप्रेत है;
- (ख) खंड (गक) में, "राजस्व एवं पुनर्वास विभाग" शब्दों के पश्चात् "या चण्डीगढ़ प्रशासन का समकक्ष सक्षम प्राधिकारी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएँगे।
- (ग) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—
- (घ) "सक्षम प्राधिकारी"से चण्डीगढ़ प्रशासन का कोई विभाग अथवा अभिकरण, स्थानीय प्राधिकारी, सांविधिक बोर्ड, संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ के स्वामित्व वाला निगम अथवा बोर्ड, नगरीय विकास प्राधिकरण अथवा विधि द्वारा गठित या स्थापित अथवा चण्डीगढ़ प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ऐसा अन्य प्राधिकारी या अभिकरण, जिसे संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ में किसी उद्यम की स्थापना अथवा संचालन के लिए अनुमोदन प्रदान करने या जारी करने की शक्तियाँ अथवा उत्तरदायित्व सौंपे गए हों;" अभिप्रेत है ;
- (घ) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—
- (छ) "चण्डीगढ़ उद्यम एवं निवेश ब्यूरो" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित ब्यूरो अभिप्रेत है।"
- (ड) खंड (झक) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—
- "परंतु यह कि चण्डीगढ़ के अधिसूचित महायोजना के अधीन वाणिज्यिक अथवा मनोरंजन उपयोग के लिए नामित क्षेत्र में स्थापित मिनीप्लेक्स को पात्र उद्यम माना जाएगा।"
- (च) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—
- (ज) 'नोडल अभिकरण' से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी से है।"
- (झ) खंड (ठ) का लोप किया जाएगा।

4. उक्त अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"3. चण्डीगढ़ उद्यम एवं निवेश ब्यूरो की स्थापना—

(1) संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ में पात्र उद्यमों को सुदृढ़ एवं समर्थ बनाने के लिए, प्रशासक, संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा चण्डीगढ़ उद्यम एवं निवेश ब्यूरो की स्थापना करेगा, जो राज्य नोडल अभिकरण होगा और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) सचिव, उद्योग, संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ — मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

(ख) निदेशक, उद्योग, संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ — अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

(ग) चण्डीगढ़ उद्यम एवं निवेश ब्यूरो के अन्य सदस्य, जिन्हें प्रशासक, संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ समय-समय पर अधिसूचित करे।

(2) उद्योग विभाग, संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़, चण्डीगढ़ उद्यम एवं निवेश ब्यूरो का सचिवालय होगा।

5. उक्त अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"4. चण्डीगढ़ उद्यम एवं निवेश ब्यूरो की शक्तियाँ और कृत्य—

(1) चण्डीगढ़ प्रशासन के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन रहते हुए, चण्डीगढ़ उद्यम एवं निवेश ब्यूरो निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्—

(क) आशय-घोषणा दाखिल करने की प्रक्रिया तथा सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया को सुगम बनाना;

(ख) पात्र उद्यमों की शिकायतों का निवारण करना;

(ग) चण्डीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों सहित सभी हितधारकों में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनकी क्षमता का विकास करना;

(घ) संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ तथा केन्द्रीय स्तर पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय एवं संपर्क स्थापित करना;

(ङ) प्राप्त आशय-घोषणाओं का अभिलेख रखना तथा इस अधिनियम के अधीन सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु आवश्यक अनुमोदन प्रदान करना;

(च) निवेश प्रस्तावों के (विनियामक तथा राजकोषीय दोनों प्रकार के) त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित करना;

(छ) संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ में पात्र उद्यमों तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा अधिसूचित नीतियों का कार्यान्वयन करना;

(ज) संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ में पात्र उद्यमों के सुगमीकरण एवं संवर्धन के लिए प्रशासन द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य किसी कृत्य का निर्वहन करना।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन, आवश्यक समझे जाने पर, चण्डीगढ़ उद्यम एवं निवेश ब्यूरो को अन्य शक्तियाँ एवं कृत्य भी सौंप सकेगा।

6. उक्त अधिनियम की धारा 5 और धारा 6 का लोप किया जाएगा।

7. उक्त अधिनियम की धारा 7 में, "यथा विहित रीति से" शब्दों के पश्चात् "चण्डीगढ़ प्रशासन के अभिहित ऑनलाइन एकल खिड़की पोर्टल के माध्यम से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएँगे।

8. उक्त अधिनियम की धारा 8 में—

(क) उपधारा (1) में "अधिनियमों के अधीन" शब्दों के पश्चात् "और विधियों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएँगे।

(ख) उपधारा (5) में "पंजाब क्षेत्रीय एवं नगर आयोजना तथा विकास अधिनियम, 1995" शब्दों के स्थान पर "कोई भी लागू विधि" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे।

(ग) उपधारा (6) के खंड (ख) में "संयुक्त निदेशक" शब्दों के पश्चात् "अथवा समकक्ष" शब्द अंतःस्थापित किए जाएँगे।

(घ) उपधारा (7) में "पंजाब राज्य की एकल खिड़की प्रणाली" शब्दों के स्थान पर "चण्डीगढ़ प्रशासन की एकल खिड़की प्रणाली" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे।

9. उक्त अधिनियम की धारा 9 में—

(क) "उप-आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "निदेशक, उद्योग, संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे।

(ख) "कठोरता" शब्द के स्थान पर "अलग अलग" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

10. उक्त अधिनियम की धारा 10 में—

(क) उपधारा (1) में "अथवा स्थावर संपदा परियोजना/परियोजनाओं" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ख) उपधारा (2) में "अथवा स्थावर संपदा परियोजना/परियोजनाओं और संबंधित क्षेत्रों के अधीन अनुमोदित" शब्दों के स्थान पर "और अधिसूचित के अधीन अनुमोदित क्षेत्रों" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे।

11. उक्त अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"10क. डिजिटलीकरण तथा एकल खिड़की .—

(1) आशय-घोषणा दाखिल करने, सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने, आवेदन की स्थिति का अनुश्रवण, निरीक्षण प्रतिवेदन तथा पात्र उद्यमों की शिकायतों के निवारण की सम्पूर्ण प्रक्रिया, चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा नामित एकल खिड़की पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में संपादित की जाएगी।

(2) चण्डीगढ़ प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि एकल खिड़की पोर्टल इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन अनुमोदन प्रदान करने के लिए सशक्त सभी सक्षम प्राधिकारियों के साथ एकीकृत हो।

(3) धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन उत्पन्न प्रकल्पित अनुमोदन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से जारी किए जाएँगे तथा पोर्टल के माध्यम से उद्यम आवेदक को दृश्यमान होंगे।

12. उक्त अधिनियम की धारा 12 में—

उपधारा (क) में "राज्य नोडल अभिकरण" शब्दों के स्थान पर "अधिसूचित अपीलीय प्राधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे।

13. उक्त अधिनियम की धारा 13 में—

"इस अधिनियम के अधीन" शब्दों के पश्चात् "अथवा उसके अधीन बनाये गए नियमों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएँगे।

14. उक्त अधिनियम की धारा 14 में—

उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

15. उक्त अधिनियम की धारा 18 में—

उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"(2) संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ पर लागू निम्नलिखित अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों को, यदि आवश्यक हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप माना जाएगा तथा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक सीमा तक उन्हें संशोधित समझा जाएगा, अर्थात्—"

क्र.सं .	अधिनियम विभाग / नियम /	सेवाएँ
1.	पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976, जैसा कि चण्डीगढ़ तक विस्तारित है। विभाग – नगर निगम, चण्डीगढ़ (एमसीसी)	1. भवन योजनाओं की मंजूरी। 2. भवनों हेतु पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करना। 3. भवनों हेतु अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करना।
2.	पंजाब की राजधानी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम , 1952 तथा चण्डीगढ़ भवन नियम (शहरी), 2017 विभाग – संपदा कार्यालय, संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़	1. भवन योजनाओं की मंजूरी। 2. पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करना। 3. अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करना।
3.	हरियाणा अग्नि एवं आपात सेवा अधिनियम, 2022, जैसा कि संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ पर विस्तारित है। विभाग – नगर निगम, चण्डीगढ़ (एमसीसी)	अग्नि अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु आवेदन।
4.	पंजाब कारखाना नियम, 1952, जब तक कि व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता के अधीन नियम अधिसूचित न हो जाएँ। विभाग – श्रम विभाग, संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़	1. कारखाना भवन आयोजना का अनुमोदन (उन उद्योगों को छोड़कर जिनमें कारखाना अधिनियम, 1948 की प्रथम अनुसूची के अनुसार परिसंकटमय प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं)। 2. दस से अधिक श्रमिकों वाले या व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता) में

		यथापरिभाषित) प्रतिष्ठानों हेतु कारखाना अनुज्ञप्ति प्रदान करना।
5.	पंजाब दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 विभाग – श्रम विभाग, संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़	दुकान अथवा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का पंजीकरण।
6.	भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 विभाग – श्रम विभाग, संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़।	1. प्रधान नियोजक का पंजीकरण 2. भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 के अधीन पंजीकरण।
7.	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 विभाग – चण्डीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति (सीपीसीसी)	1. स्थापना हेतु अनुमति (i) अनुमोदित औद्योगिक पार्क के भीतर – हरित एवं नारंगी श्रेणी के उद्योग। 2. (ii) अनुमोदित औद्योगिक पार्क के बाहर – श्वेत एवं हरित श्रेणी के उद्योग। 3. 2. संचालन हेतु अनुमति – हरित श्रेणी के उद्योग।
8.	वन एवं वन्यजीव विभाग, संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।	वन भूमि न होने के संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र
9.	चण्डीगढ़ विद्युत् वितरण लिमिटेड जेईआरसी आपूर्ति संहिता, 2018	1. नवीन विद्युत संयोजन (निर्धारित भार तक निम्न तनाव श्रेणी) जारी करना 2. स्वीकृत सीमा के भीतर भारवृद्धि का अनुमोदन।
10.	जलापूर्ति उपविधियाँ / नगर निगम, चण्डीगढ़	1. जलापूर्ति संयोजन (वाणिज्यिक श्रेणी) प्रदान करना। 2. मलवहन(सीवरेज) संयोजन प्रदान करना।

[फा. सं. यू-11015/1/2026-यूटीएल]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

पंजाब सरकार  
विधि एवं विधायी कार्य विभाग  
पंजाब व्यवसाय करने का अधिकार अधिनियम, 2020  
(2020 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 1)  
(तारीख 15 नवम्बर, 2025 तक संशोधित)  
पंजाब व्यवसाय करने का अधिकार अधिनियम, 2020

धारा विषय

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
2. परिभाषाएँ
3. जिला उद्यम ब्यूरो की स्थापना
4. जिला उद्यम ब्यूरो की शक्तियाँ एवं कर्तव्य
5. नोडल अभिकरण
6. जिला नोडल अभिकरणों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य
7. आशय घोषणा दाखिल करना
8. सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र का प्रभाव
9. संवीक्षा समिति
10. सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी किया जाना
11. सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण
12. अपील
13. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण
14. नियम बनाने की शक्ति
15. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
16. छूट
17. व्यावृत्तियां
18. अन्य विधियों पर अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव
19. फीस

## पंजाब व्यवसाय करने का अधिकार अधिनियम, 2020

(2020 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 1)

[जिसे तारीख 31 जनवरी, 2020 को पंजाब के राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई तथा जिसे तारीख 6 फरवरी, 2020 के पंजाब सरकार के राजपत्र (असाधारण) में प्रथम बार प्रकाशित किया गया।]

1	2	3	4
वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	क्या विधान द्वारा निरसित अथवा अन्यथा प्रभावित
2020	1	पंजाब व्यवसाय करने का अधिकार अधिनियम, 2020	पंजाब अधिनियम सं. 1 सन् 2022 द्वारा संशोधित। पंजाब अधिनियम सं. 14 सन् 2025 द्वारा संशोधित।

पंजाब राज्य में 1[पात्र उद्यमों] के लिए स्व-घोषणा, ब्रूट, त्वरित अनुमोदनों तथा निरीक्षणों हेतु सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराकर उनकी स्थापना एवं संचालन के लिए व्यवसाय करने में सुगमता प्रदान करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुपंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित किया जाता है: :-

## संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम को पंजाब व्यवसाय करने का अधिकार अधिनियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) यह अधिनियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त और प्रभावी होगा।

## परिभाषाएँ

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) 'अनुमोदन' से आशय किसी उद्यम की पंजाब राज्य में स्थापना अथवा संचालन के संबंध में अभिस्वीकृति, अनापत्ति प्रमाणपत्र, अनुमति, पंजीकरण, अनुमति, अनुज्ञप्ति तथा ऐसे अन्य समान लिखत, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो 2[किसी विधि के अधीन अपेक्षित हो], से है;

(ख) "अनुमोदित औद्योगिक पार्क" से आशय औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक फोकल प्वाइंट, औद्योगिक संपदा, मिश्रित उपयोग औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, वस्त्र पार्क, जैव-प्रौद्योगिकी पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, औद्योगिक नगरी, विकास केन्द्र, खाद्य प्रसंस्करण पार्क अथवा कोई अन्य समान परियोजना, जो यथास्थिति, सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, से है;

(ग) "सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र" से आशय इस अधिनियम की धारा 10 में निर्दिष्ट स्वीकृति से है;

1[(गक) "सी.आर.ओ. रिपोर्ट" से आशय प्रस्तावित परियोजना के संबंध में संबंधित वृत्त राजस्व अधिकारी (Circle Revenue Officer) से, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग द्वारा अधिसूचित रूप में, विधिवत् अनुमोदित रिपोर्ट से है;]

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से आशय सरकार का कोई विभाग अथवा अभिकरण, या कोई स्थानीय प्राधिकारी, सांविधिक निकाय, राज्य स्वामित्व वाला निगम अथवा बोर्ड, शहरी विकास प्राधिकरण अथवा कोई अन्य प्राधिकारी या अभिकरण, जो 2[किसी विधि द्वारा स्थापित] हो अथवा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हो और जिसे राज्य में किसी उद्यम की स्थापना अथवा संचालन के लिए अनुमोदन प्रदान करने अथवा जारी करने की शक्तियाँ अथवा उत्तरदायित्व सौंपे गए हों, से है;

(ङ) "आशय घोषणा" से आशय इस अधिनियम के अधीन लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से 3[किसी उद्यम द्वारा किसी विधि के अधीन] सुसंगत एवं यथार्थ सूचना प्रस्तुत करने से है;

(च) "प्रकल्पित अनुमोदन" से आशय ऐसी स्वीकृति से है जिसे इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रदत्त माना गया हो;

(छ) "जिला उद्यम ब्यूरो" से आशय इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित ब्यूरो से है;

1 2025 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 14 की धारा 2 द्वारा "नवगठित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2 2025 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 14 की धारा 3(i) द्वारा "किसी पंजाब विधि के अधीन अपेक्षित" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

- (ग) “सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र” से आशय इस अधिनियम की धारा 10 में निर्दिष्ट स्वीकृति से है;  
1[(गक) “सी.आर.ओ. रिपोर्ट” से आशय प्रस्तावित परियोजना के संबंध में संबंधित वृत्त राजस्व अधिकारी (Circle Revenue Officer) से, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग द्वारा अधिसूचित रूप में, विधिवत् अनुमोदित रिपोर्ट से है;]
- (घ) “सक्षम प्राधिकारी” से आशय सरकार का कोई विभाग अथवा अभिकरण, या कोई स्थानीय प्राधिकारी, सांविधिक निकाय, राज्य स्वामित्व वाला निगम अथवा बोर्ड, शहरी विकास प्राधिकरण अथवा कोई अन्य प्राधिकारी या अभिकरण, जो 2[किसी विधि द्वारा स्थापित] हो अथवा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हो और जिसे राज्य में किसी उद्यम की स्थापना अथवा संचालन के लिए अनुमोदन प्रदान करने अथवा जारी करने की शक्तियाँ अथवा उत्तरदायित्व सौंपे गए हों, से है;
- (ङ) “आशय घोषणा” से आशय इस अधिनियम के अधीन लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से 3[किसी उद्यम द्वारा किसी विधि के अधीन] सुसंगत एवं यथार्थ सूचना प्रस्तुत करने से है;
- (च) “प्रकल्पित अनुमोदन” से आशय ऐसी स्वीकृति से है जिसे इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रदत्त माना गया हो;
- (छ) “जिला उद्यम ब्यूरो” से आशय इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित ब्यूरो से है;

1 2025 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 14 की धारा 3(ii) द्वारा अंतःस्थापित।

2 2025 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 14 की धारा 3(iii) द्वारा “किसी पंजाब विधि द्वारा स्थापित” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 2025 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 14 की धारा 3(iv) द्वारा “किसी पंजाब विधि के अधीन किसी उद्यम” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

1[(छक) “पात्र उद्यम” से आशय ऐसे नए उद्यम अथवा विस्तार करने वाले विद्यमान उद्यम से है, बशर्ते कि विस्तार करने वाले उद्यम के विरुद्ध सुसंगत अधिनियम के अधीन कोई उल्लंघन न हो;

परन्तु पात्र उद्यम में स्थावर संपदा परियोजनाएँ, मल्टीप्लेक्स, मिनीप्लेक्स, विपणन परिसर तथा सामान्य अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र संस्थापन सम्मिलित नहीं होंगे;]

2[(ज) “उद्यम” से आशय सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम उद्यम से है, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खण्ड (ड) में परिभाषित है; अथवा ऐसे बड़े उद्यम से है जिसकी स्थायी पूंजी निवेश (भूमि, भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी) सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा तक हो;]

3[(जक) “विद्यमान उद्यम” से आशय ऐसे उद्यम से है जिसने आशय-घोषणा प्रस्तुत करने के समय वाणिज्यिक उत्पादन अथवा परिचालन प्रारम्भ कर दिया हो;]

(झ) “सरकार” से आशय पंजाब राज्य सरकार से है;

4[(झक) “विधि” से आशय पंजाब राज्य के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित अथवा अंगीकृत किसी विधि से, अथवा भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किसी विधि से तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा जारी की गई अधिसूचनाओं से है;]

(ञ) “नोडल अभिकरण” से आशय इस अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट नोडल अभिकरण से है;

(ट) “विहित” से आशय इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है;

5[(ठ) “स्थावर संपदा परियोजनाएँ” से आशय ऐसे किसी वाणिज्यिक परिसर, कॉलोनी अथवा परियोजना से है जिसके लिए पंजाब अपार्टमेंट तथा संपत्ति विनियमन अधिनियम, 1995 के अधीन अनुमति अपेक्षित हो और/अथवा वे परियोजनाएँ जो पंजाब अपार्टमेंट तथा संपत्ति विनियमन अधिनियम, 1995 की धारा 44 के अधीन छूट प्राप्त हों;]

1 2025 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 14 की धारा 3(v) द्वारा प्रतिस्थापित।

2 2025 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 14 की धारा 3(vi) द्वारा प्रतिस्थापित।

3 2022 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 1 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

4 2025 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 14 की धारा 3(vii) द्वारा अंतःस्थापित।

5 2025 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 14 की धारा 3(viii) द्वारा प्रतिस्थापित।

- (ड) “परीक्षण समिति” से आशय इस अधिनियम की धारा 9 में निर्दिष्ट समिति से है; और  
 (ढ) “राज्य” से आशय पंजाब राज्य से है।

### जिला उद्यम ब्यूरो की स्थापना

3. (1) जिला स्तर पर 1[पात्र उद्यमों] को सुदृढ़ एवं समर्थन प्रदान करने के लिए सरकार राज्य के सभी जिलों में निम्नलिखित सदस्यों से युक्त जिला उद्यम ब्यूरो स्थापित करेगी, अर्थात् :—
- संबंधित जिले का उपायुक्त — मुख्य कार्यपालक अधिकारी;
  - महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र — अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी;
  - 2[जिला उद्यम ब्यूरो के अन्य सदस्य], जिन्हें सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे।
- (2) संबंधित जिला उद्योग केन्द्र, जिला उद्यम ब्यूरो का सचिवालय होगा।

### जिला उद्यम ब्यूरो की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

4. सरकार के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जिला उद्यम ब्यूरो के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी तथा वह निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्: —
- आशय-घोषणा दाखिल करने तथा सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना;
  - 3[पात्र उद्यमों] की शिकायतों का निवारण करना;
  - सरकार के अधिकारियों सहित सभी हितधारकों में जागरूकता उत्पन्न करना तथा क्षमता निर्माण करना; तथा
  - राज्य में 4[पात्र उद्यमों] के सुगमीकरण एवं संवर्धन के लिए सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कृत्य संपादित करना।

1 2025 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 14 की धारा 4 द्वारा “सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2 2022 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 1 की धारा 3 द्वारा “उद्यम के अन्य सदस्य” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 2025 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 14 की धारा 5(i) द्वारा “सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4 2025 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 14 की धारा 5(ii) द्वारा “सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**नोडल अभिकरण**

5. (1) राज्य स्तर पर एक राज्य नोडल अभिकरण होगा, जिसका प्रधान उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक होगा तथा इसमें ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे। यह सरकार के समग्र अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।
- (2) जिला उद्यम ब्यूरो ही जिला नोडल अभिकरण होगा, जो राज्य नोडल अभिकरण के माध्यम से सरकार के समग्र अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

**नोडल अभिकरणों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य**

6. (1) राज्य नोडल अभिकरण के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी तथा वह निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—
- (क) जिला नोडल अभिकरण के समग्र कार्यकरण का अनुश्रवण, पर्यवेक्षण तथा पुनर्विलोकन करना;
- (ख) राज्य एवं केन्द्रीय स्तर पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय एवं संपर्क स्थापित करना; तथा
- (ग) धारा 12 के खण्ड (क) के अधीन जिला नोडल अभिकरण के आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों का पुनर्विलोकन करना तथा उन पर निर्णय लेना और शिकायतों का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना।
- (2) जिला नोडल अभिकरण के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी तथा वह निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—
- (क) राज्य में 1[पात्र उद्यमों] को सहायता एवं सुगमीकरण प्रदान करना;
- (ख) प्राप्त "आशय-घोषणा" का अभिलेख संधारित करना तथा इस अधिनियम के अधीन सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करना;
- (ग) धारा 12 के खण्ड (ख) के अधीन दायर आवेदन का पुनर्विलोकन करना तथा उस पर निर्णय लेना और शिकायतों का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना; तथा
- (घ) जिला स्तर पर सरकार के अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- (3) सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए नोडल अभिकरणों को ऐसी अन्य शक्तियाँ एवं कृत्य सौंप सकेगी, जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

### आशय की घोषणा दाखिल करना

1[7. सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र उद्यम द्वारा जिला नोडल अभिकरण को विहित प्रारूप तथा विहित रीति से आशय-घोषणा प्रस्तुत की जाएगी।]

#### सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र का प्रभाव

8. (1) सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र, धारा 18 में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन विनियामक सेवाओं के लिए, धारा 2 के खण्ड (क) में परिभाषित अनुमोदन के रूप में कार्य करेगा और यह उसके जारी किए जाने की तिथि से तीन वर्ष तथा छह माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।
- (2) सैद्धान्तिक अनुमोदन की वैधता अवधि के दौरान कोई भी सक्षम प्राधिकारी, धारा 2 के खण्ड (क) में परिभाषित किसी अनुमोदन के प्रयोजन से अथवा उससे संबंधित किसी विषय में कोई निरीक्षण नहीं करेगा, सिवाय इस धारा की उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट शिकायतों के आधार पर।
- (3) धारा 10 के अधीन 2[पात्र उद्यम] को विहित प्रारूप में सभी दृष्टियों से पूर्ण आशय-घोषणा प्राप्त होने पर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा।
- (4) सैद्धान्तिक अनुमोदन स्वीकृति प्रमाणपत्र का उपबंध वैकल्पिक होगा तथा कोई उद्यम किसी भी समय संबंधित विभागों से नियमित अनुमोदन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकेगा।
- 3[(5) सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति को भूमि उपयोग से विपथन चलन करते हुए अथवा पंजाब क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन अधिसूचित क्षेत्रीय योजना, अधिसूचित महायोजना अथवा अधिसूचित स्थानीय आयोजना क्षेत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों के प्रतिकूल किसी भूमि के खण्ड के उपयोग का अधिकार प्रदान नहीं करेगा। आवेदक विभिन्न विभागों द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए जारी अवस्थिति संबंधी दिशा-निर्देशों का भी पालन करेगा।]
- (6) (क) गंभीर प्रकृति की शिकायतों के मामलों में केवल संबंधित प्राधिकारी का प्रमुख ही ऐसे निरीक्षण के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के पश्चात निरीक्षण का आदेश दे सकेगा।

1 2022 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 1 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

2 2022 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 1 की धारा 5 द्वारा "राज्य में स्थापित किए जा रहे नए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 2025 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 14 की धारा 7(i) द्वारा प्रतिस्थापित।

- 1[(ख) निरीक्षण अधिकारी अथवा निरीक्षण अधिकारियों की टीम, जो संयुक्त निदेशक के पद से निम्न श्रेणी की न हो, संबंधित प्राधिकारी के प्रमुख द्वारा नामित की जाएगी।]
- (ग) निरीक्षण रिपोर्ट निरीक्षण किए जाने के पश्चात 2[अड़तालीस कार्य घंटों] के भीतर उद्यम तथा संबंधित विभाग को ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी।
- (7) सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र की वैधता अवधि के दौरान, उद्यम किसी भी समय, किन्तु प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से तीन वर्ष से अधिक विलम्ब किए बिना, संबंधित विभागों से लागू सभी नियमित अनुमोदन 3[प्राप्त करने] हेतु 4[पंजाब की राज्य एकल खिड़की पद्धति] के माध्यम से आवेदन करेगा।

### परीक्षण समिति

9. धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन प्राप्त आवेदनों की जांच करने तथा उन पर निर्णय लेने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में एक परीक्षण समिति होगी, जिसमें संबंधित उपायुक्त तथा ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जो विहित किए जाएँ। परीक्षण समिति निर्णय लेने से पूर्व, यदि आवश्यक समझे, तो आवेदक को पूर्व सूचना देकर संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से स्थल का निरीक्षण कर सकेगी।

### सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किया जाना

10. 5[(1) अनुमोदित औद्योगिक पार्क अथवा स्थावर संपदा परियोजना/परियोजनाओं में स्थापित किए जा रहे अथवा परिचालित पात्र उद्यम के लिए, जिला नोडल अभिकरण आशय-घोषणा प्राप्त होने पर नए एवं विद्यमान उद्यम को पाँच कार्य दिवसों के भीतर तत्काल सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करेगा।

1 2022 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 1 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

2 2022 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 1 की धारा 5 द्वारा "अड़तालीस घंटे" शब्दों के स्थान पर "अड़तालीस कार्य घंटे" शब्द प्रतिस्थापित किए गए।

3 2022 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 1 की धारा 5 द्वारा "btain" शब्द के स्थान पर "obtain"/ [प्राप्त करने] शब्द प्रतिस्थापित किया गया।

4 2025 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 14 की धारा 7(ii) द्वारा "पंजाब निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो (PBIP) की एकल खिड़की पद्धति" शब्दों के स्थान पर "पंजाब की राज्य एकल खिड़की पद्धति" शब्द प्रतिस्थापित किए गए।

5 2025 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 14 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) अनुमोदित औद्योगिक पार्क अथवा स्थावर संपदा परियोजना/परियोजनाओं के बाहर तथा सुसंगत क्षेत्रीय योजना, महायोजना अथवा अधिसूचित स्थानीय आयोजना क्षेत्रों के अधीन अनुमोदित क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे अथवा परिचालित पात्र उद्यम के लिए, सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने का निर्णय जिला नोडल अभिकरण द्वारा, विहित प्रक्रिया के अनुसार, नए उद्यम के मामले में पंद्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर तथा विद्यमान उद्यम के मामले में अठारह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर लिया जाएगा।

(3) यदि उपधारा (1) तथा उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सैद्धान्तिक अनुमोदन जारी करने के संबंध में निर्णय नहीं लिया जाता है, तो ऐसा प्रमाणपत्र जिला नोडल अभिकरण द्वारा जारी किया हुआ माना जाएगा।

1[(4) जिला नोडल अभिकरण, सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व, विस्तार करने वाले उद्यम का निरीक्षण करने हेतु संबंधित विभाग के किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकेगा। निरीक्षण रिपोर्ट निरीक्षण किए जाने के पश्चात अड़तालीस कार्य घंटों के भीतर जिला नोडल अभिकरण को उपलब्ध कराई जाएगी।]

### सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण

11. (1) 2[आवेदन/आशय-घोषणा में] जानबूझकर किया गया मिथ्या एवं कपटपूर्ण सूचना प्रस्तुतिकरण अथवा सुसंगत नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन की स्थिति में, जिला नोडल अभिकरण, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र निरस्त करेगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उल्लंघन के लिए की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त, किसी भी अनधिकृत निर्माण को या तो स्वामी द्वारा अथवा संबंधित प्राधिकारी द्वारा स्वामी के जोखिम एवं व्यय पर ध्वस्त किया जाएगा।

### अपील

12. इस अधिनियम के अधीन सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाले अथवा जिसे ऐसा प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, ऐसे किसी पात्र उद्यम द्वारा निम्नानुसार अपील दायर की जा सकेगी—

1 2022 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 1 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।

2 2025 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 14 की धारा 9 द्वारा "आवेदन अथवा उल्लंघन" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

- (क) आवेदन खारिज किए जाने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर अथवा खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी अन्य कारण से, राज्य नोडल अभिकरण के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी, यदि सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत आशय-घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दी गई हो; तथा
- (ख) धारा 8 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में की गई कार्रवाई के अधीन रहते हुए, यदि इस अधिनियम के अधीन वैध सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र रखने वाले किसी उद्यम के संबंध में उसके व्यवसाय की स्थापना और/अथवा संचालन हेतु जांच की जा रही हो या निरीक्षण किया जा रहा हो अथवा उससे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में शिकायतों के निवारण हेतु, यदि कोई हो, जिला नोडल अभिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

### सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

13. सरकार के किसी अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी या नोडल अभिकरण अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के विरुद्ध, 1[पात्र उद्यमों] के सुगमीकरण के लिए इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए अथवा किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के संबंध में कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

### नियम बनाने की शक्ति

14. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र अथवा दो या अधिक क्रमागत सत्रों में सम्मिलित हो सकती है। यदि उक्त सत्र अथवा क्रमागत सत्रों के तुरंत पश्चात वाले सत्र की समाप्ति से पूर्व सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाए अथवा यह सहमति व्यक्त करे कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात वह नियम केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा अथवा यथास्थिति प्रभावहीन हो जाएगा; तथापि ऐसा कोई उपांतरण अथवा बतिलकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी कार्रवाई की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

### कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

15. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, ऐसी कठिनाई को दूर कर सकेगी: —

<sup>1</sup> का 2025पंजाब अधिनियम संख्यांक 14 की धारा 10 द्वारा सूक्ष्म", लघु एवं मध्यम उद्यमशब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। "

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

### छूट

16. जब सरकार अथवा उसके अधीन कोई प्राधिकारी किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी उद्यम को किसी अनुमोदन अथवा निरीक्षण से अथवा उससे संबंधित किसी उपबंध से छूट प्रदान करने के लिए सशक्त हो, तब सरकार अथवा यथास्थिति ऐसा प्राधिकारी, उस केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य में स्थापित किसी उद्यम को सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तिथि से कम से कम तीन वर्ष तथा छह माह की अवधि के लिए ऐसी छूट प्रदान करने हेतु अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

### बचाव

17. इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी उद्यम को तत्समय प्रवृत्त 1[किसी विधि के उपबंधों] अथवा उसके अधीन विहित किसी नियामक उपाय अथवा मानकों के अनुप्रयोग से छूट प्रदान करती है, सिवाय उस सीमा तक जहाँ तक इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से उपबंध किया गया हो।

अन्य विधियों पर अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

18. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य पंजाब विधि में निहित उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाव होगा।

2[(2) निम्नलिखित राज्य अधिनियमों के उपबंध तथा किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम, यदि आवश्यक हो, तो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप बनाए जाने हेतु संशोधित माने जाएँगे, जहाँ तक कि यह इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो, अर्थात्: —

1 2025 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 14 की धारा 11 द्वारा "किसी पंजाब विधि के उपबंध" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2 2025 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 14 की धारा 12(i) द्वारा प्रतिस्थापित।

क्रम सं.	अधिनियमविभाग/नियम/	सेवाएँ
1.	पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 तथा पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976	1. भवन योजनाओं की मंजूरी 2. भवनों हेतु पूर्णता प्रमाणपत्र-सह-अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करना 3. व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करना
2.	पंजाब क्षेत्रीय एवं नगर आयोजना तथा विकास अधिनियम, 1995 (प्रचलित उपविधियों के अनुसार)	1. भूमि उपयोग परिवर्तन 2. भवन योजनाओं की मंजूरी 3. भवनों हेतु पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करना 4. भवनों हेतु अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करना
3.	पंजाब अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2024	अग्नि अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु आवेदन
4.	पंजाब कारखाना नियम, 1952	कारखाना भवन योजना का अनुमोदन (कारखाना अधिनियम, 1948 की प्रथम अनुसूची के अनुसार परिसंकटमय प्रक्रिया वाले उद्योगों को छोड़कर)
5.	पंजाब दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958	दुकान अथवा प्रतिष्ठान का पंजीकरण
6.	भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996	1. प्रधान नियोजक का पंजीकरण 2. भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 के अधीन पंजीकरण
7.	कारखाना अधिनियम, 1948	1. स्थायित्व प्रमाणपत्र 2. कारखाना अनुज्ञप्ति
8.	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981	1. स्थापना हेतु अनुमति (अनुमोदित औद्योगिक पार्क के भीतर – श्वेत, हरित तथा नारंगी श्रेणी के उद्योग; अनुमोदित औद्योगिक पार्क के बाहर – श्वेत एवं हरित श्रेणी के उद्योग) 2. संचालन हेतु अनुमति (श्वेत एवं हरित श्रेणी के उद्योग)
9.	वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग, पंजाब	वन भूमि न होने के संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र
10.	पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात लिमिटेड (पी एस आई ई सी) (उपविधियों के अनुसार)	1. भवन योजनाओं की मंजूरी 2. भवनों हेतु पूर्णता प्रमाणपत्र-सह-अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करना

1[(3) उपधारा (2) के क्रम संख्या 8 तथा 9 के अधीन आच्छादित न होने वाली उद्योग श्रेणियाँ, यथास्थिति, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) तथा भारत सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन पृथक अनुमोदन प्राप्त कर सकेंगी; तथा इस अधिनियम के अधीन आवेदन पर उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शेष सेवाओं के लिए कार्यवाही की जाएगी।

(4) जिन उद्यमों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) अपेक्षित है और जो अभी तक प्राप्त नहीं की गई है, उन्हें सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रमाणपत्र इस शर्त के अधीन प्रदान किया जाएगा कि आवेदक स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

(5) जिन उद्यमों के मामले में वन भूमि सम्मिलित हो तथा जिनके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन भारत सरकार से अनुमोदन अपेक्षित हो, उन्हें सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रमाणपत्र इस शर्त के अधीन प्रदान किया जाएगा कि आवेदक स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्य रूप से वन मंजूरी अनुमोदन प्राप्त करेगा।]

### फीस

19. धारा 18 में निर्दिष्ट कार्यवाहियों, सेवाओं तथा अनुमोदनों के संबंध में, समय-समय पर अधिसूचित वैधानिक आवेदन फीस, निरीक्षण फीस अथवा कोई अन्य फीस, जो 2[किसी विधि के अधीन प्रभार्य हो], आवेदक द्वारा आशय-घोषणा दाखिल करते समय तथा "सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रमाणपत्र" जारी किए जाने से पूर्व, सभी सुसंगत प्राधिकारियों को ऑनलाइन देय होगा।

1 2025 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 14 की धारा 12(ii) द्वारा जोड़ा गया।

2 2025 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 14 की धारा 13 द्वारा "किसी पंजाब विधि के अधीन प्रभार्य" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd July, 2026

**S.O. 3604(E).**— In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Right to Business Act, 2020 (Punjab Act No. 1 of 2020), as in force in the State of Punjab, subject to the following modifications, namely:-

**MODIFICATIONS**

In the Punjab Right to Business Act, 2020, so extended to the Union territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the said Act),—

**1. For section 1 of the said Act, the following section shall be substituted, namely :-**

“1. Short title and commencement. – (1) This Act may be called the Punjab Right to Business Act, 2020 (as extended to the Union territory of Chandigarh).

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.”.

**2. Throughout the said Act, save as otherwise expressly provided hereinafter :-**

- for the words “State” and “Punjab”, wherever they occur, the words “Union Territory of Chandigarh” shall be substituted;
- for the words “State Government”, “Government” and “Government of the State of Punjab”, wherever they occur, the words “Administrator, Union Territory of Chandigarh” shall be substituted;
- for the words “District Nodal Agency”, wherever they occur, the words Chandigarh Bureau of Enterprise and Investment” shall be substituted;
- for the words “Punjab Pollution Control Board”, wherever they occur, the words “Chandigarh Pollution Control Committee” shall be substituted;

**3. In section 2 of the said Act,—**

- for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—
- "Approved Industrial Park" means an Industrial Area, Industrial Focal Point, Industrial Estate, Mixed-use Zone or Area, Special Economic Zone (SEZ), Biotech Park, Information Technology (IT) Park, Industrial Township, Growth Centre, Food Processing Park or any other similar project approved by the Competent Authority of the Chandigarh Administration or the Central Government, as the case may be;”;
- in clause (ca), after the words “Department of Revenue and Rehabilitation”, the words “or the equivalent competent authority notified by the Chandigarh Administration” shall be inserted;
- for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—
- "Competent Authority" means any department or agency of the Chandigarh Administration or a local authority, statutory board, Union territory Chandigarh owned corporation or board, Urban Development Authorities or any other authority or agency constituted or established by any law or under administrative control of the Chandigarh Administration which is entrusted with the powers or responsibilities to grant or issue approvals for the establishment or operation of an enterprise in the Union territory of Chandigarh;”;
- for clause (g), the following clause shall be substituted, namely :—
- “Chandigarh Bureau of Enterprise and Investment” means the Bureau established under section 3 of this Act;”;
- in clause (ga), the following proviso shall be inserted, namely:—  
“Provided that a Miniplex established within a zone designated for commercial or entertainment use under the notified Master Plan of Chandigarh shall be treated as an Eligible Enterprise;”;
- for clause (j), the following clause shall be substituted, namely :—
- “Nodal Agency” means the authority referred to in sub-section (1) of Section 3 of this Act;”;
- clause (l) shall be omitted.

**4. For section 3 of the said Act, the following section shall be substituted, namely:—**

“3. Establishment of Chandigarh Bureau of Enterprise and Investment — (1) In order to strengthen and support the Eligible Enterprises in the Union territory of Chandigarh, the Administrator of Union territory of Chandigarh shall

establish a Chandigarh Bureau of Enterprise and Investment by notification in the Official Gazette, which shall be the State Nodal Agency, consisting of the following, namely:—

- (a) The Secretary Industries, Union territory Chandigarh — Chief Executive Officer;
- (b) The Director Industries, Union territory Chandigarh — Additional Chief Executive Officer;
- (c) The other members of the Chandigarh Bureau of Enterprise and Investment as may be notified by the Administrator, Union territory of Chandigarh from time to time.

(2) The Department of Industries, Union territory Chandigarh shall be the Secretariat for the Chandigarh Bureau of Enterprise and Investment.”

**5. For section 4 of the said Act, the following section shall be substituted, namely:—**

“4. Powers and functions of Chandigarh Bureau of Enterprise and Investment — (1) Subject to the superintendence, direction and control of the Chandigarh Administration, the Chandigarh Bureau of Enterprise and Investment shall have the following powers and perform the following functions, namely:—

- (a) to facilitate the process of filing the Declaration of Intent and issuance of the Certificate of In-Principle Approval;
- (b) to redress grievances of the Eligible Enterprises;
- (c) to create awareness and capacity building of all stakeholders, including officials of the Chandigarh Administration;
- (d) to coordinate and liaise with concerned departments at the Union territory Chandigarh and Central level;
- (e) to maintain a record of Declarations of Intent received and issue necessary approvals for issuance of Certificates of In-Principle Approval under this Act;
- (f) to ensure expeditious clearance of investment proposals (both regulatory and fiscal);
- (g) to implement policies as notified by Chandigarh Administration for promotion of Eligible Enterprises and Investments in Union territory Chandigarh; and
- (h) any other function so assigned by the Administration for facilitation and promotion of Eligible Enterprises in the Union territory Chandigarh.

(2) The Administration may assign such other powers and functions to the Chandigarh Bureau of Enterprise and Investment as it may deem fit for giving effect to the provisions of this Act.”

**6. Sections 5 and 6 of the said Act shall be omitted.**

**7. In section 7 of the said Act, after the words “as may be prescribed”, the words “through the designated online single-window portal of Chandigarh Administration” shall be inserted.**

**8. In section 8 of the said Act,**

- (a) in sub-section (1), after the words ‘under the Acts’ the words ‘and laws’ shall be inserted;
- (b) in sub-section (5), for the words ‘the Punjab Regional and Town Planning and Development Act, 1995’, the words ‘any applicable law’ shall be substituted;
- (c) in sub-section (6), in clause (b), after the words “Joint Director”, the words “or equivalent” shall be inserted;
- (d) in sub-section (7), for the words “the State single window system of Punjab”, the words “single window system of the Chandigarh Administration” shall be substituted.

**9. In section 9 of the said Act, -**

- (a) for the words “Deputy Commissioner”, the words “Director Industries, Union territory Chandigarh” shall be substituted;
- (b) for the word “severely”, the word “severally” shall be substituted.

**10. In Section 10 of the said Act, -**

- (a) in sub-section (1), the words, “or Real Estate Project(s)” shall be omitted;
- (b) in sub-section 2, for the words “or Real Estate Project(s) and on areas, approved under the relevant”, the words “and on areas, approved under the notified” shall be substituted.

**11. After section 10 of the said Act, the following section shall be inserted, namely:—**

“10A. Digitisation and single window.— (1) The entire process of filing the Declaration of Intent, issuance of the Certificate of In-Principle Approval, tracking of application status, inspection reports, and grievance filing for Eligible Enterprises shall be carried out electronically through the single-window portal designated by the Chandigarh Administration.

(2) The Chandigarh Administration shall ensure that the single-window portal is integrated with all Competent Authorities empowered to grant approvals under section 18 of this Act.

(3) Deemed approvals generated under sub-section (3) of section 10 shall be automatically issued and visible to the applicant enterprise through the portal without any manual intervention.’

**12. In section 12 of the said Act** in sub-section (a), for the words “State Nodal Agency”, the words “notified Appellate Authority” shall be substituted.

**13. In section 13 of the said Act, after** the words, ‘under this Act’ the words ‘or the rules made thereunder’ shall be inserted.

**14. In section 14 of the said Act,** sub-section 2 shall be omitted.

**15. In section 18 of the said Act,** for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

“(2) The following enactments and the rules made under any enactment as applicable to Union territory Chandigarh, shall be deemed to have been amended, if so required, to conform with the provisions of this Act in so far as these are necessary to implement the provisions of this Act, namely:—

Sl. No.	Acts / Rules / Department	Services
1.	Punjab Municipal Corporation Act, 1976, as extended to Chandigarh <b>Department - Municipal Corporation Chandigarh (MCC)</b>	1. Sanction of Building Plans 2. Issuance of Completion Certificate for Buildings 3. Issuance of Occupation Certificate for Buildings
2.	Capital of Punjab (Development and Regulation) Act, 1952 and Chandigarh Building Rules (Urban) 2017 <b>Department - Estate Office, U.T. Chandigarh</b>	1. Sanction of Building Plans 2. Issuance of Completion Certificate for Buildings 3. Issuance of Occupation Certificate for Buildings
3.	The Haryana Fire and Emergency Service Act, 2022, (as extended to the Union territory of Chandigarh) <b>Department - Municipal Corporation Chandigarh (MCC)</b>	Application for Fire No Objection Certificate
4.	Punjab Factory Rules, 1952, till Rules under Occupational Safety and Health Code are notified <b>Department - Labour Department, UT Chandigarh</b>	1. Approval of Factory Building Plan (except for Industries involving hazardous processes as per Schedule I to the Factories Act, 1948) 2. Factory Licence for establishments with more than 10 workers (or as defined under OSH Code)
5.	Punjab Shops and Commercial Establishments Act, 1958 <b>Department - Labour Department, UT Chandigarh</b>	Registration of Shop or Establishment
6.	Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 <b>Department - Labour Department, UT Chandigarh</b>	1. Registration of Principal Employer 2. Registration under BOCW Act, 1996
7.	The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981	1. Consent to Establish (i) Within Approved Industrial Park – Green and Orange category of Industries

Sl. No.	Acts / Rules / Department	Services
	<b>Department</b> - Chandigarh Pollution Control Committee (CPCC)	(ii) Outside Approved Industrial Area – White and Green category of industries  2. Consent to Operate (Green category of Industries)
8.	Department of Forest and Wildlife, UT Chandigarh / Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Government of India)	No Objection Certificate (NOC) for no forest land
9.	Chandigarh Power Distribution Limited JERC Supply Code 2018	Release of New Electricity Connection (Low Tension category up to prescribed load) Approval for Load Enhancement within sanctioned limits
10.	Water Supply Bye-Laws / Municipal Corporation Chandigarh	Grant of Water Supply Connection (commercial category) Grant of Sewerage Connection

[F. No. U-11015/1/2026-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

**GOVERNMENT OF PUNJAB DEPARTMENT OF  
LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS  
THE PUNJAB RIGHT TO BUSINESS ACT, 2020**

**(PUNJAB ACT 1 OF 2020)**

**(As amended upto the 15th November, 2025)**

**THE PUNJAB RIGHT TO BUSINESS ACT, 2020**

**Sections**

1. Short title and commencement
2. Definitions
3. Establishment of District Bureau of Enterprise
4. Powers and Functions of District Bureau of Enterprise
5. Nodal Agency
6. Powers and Functions of District Nodal Agencies
7. Filing of Declaration of Intent
8. Effect of the Certificate of in Principle Approval
9. Scrutiny Committee
10. Issuance of Certificate of in Principle Approval
11. Revocation of a Certificate of in Principle Approval
12. Appeal
13. Protection of action taken in good faith
14. Power to make rules
15. Power to remove difficulties
16. Exemption
17. Savings
18. Act to override other laws
19. Fees

**THE PUNJAB RIGHT TO BUSINESS ACT, 2020****(Punjab Act No. 1 of 2020)**

[Received the assent of the Governor of Punjab on the 31st day of January, 2020, and was first published in the Punjab Government Gazette (Extraordinary) dated the 6<sup>th</sup> February, 2020]

1	2	3	4
Year	No.	Short Title	Whether repealed or otherwise affected by the legislation
2020	1	The Punjab Right to Business Act, 2020	Amended by Punjab Act No.1 of 2022 Amended by Punjab Act No. 14 of 2025

**An Act to provide for ease of doing business for the <sup>1</sup> [Eligible Enterprises] through an enabling ecosystem for self-declaration, exemptions, speedier approvals and inspections to establish and operate in the State of Punjab and matters connected therewith or incidental thereto.**

BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Seventieth Year of the Republic of India as follows: -

Short title and commencement. 1. (1) This Act may be called the Punjab Right to Business Act, 2020.  
(2) It shall come into force on and with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In this Act, unless the context otherwise requires, -

Definitions. (a) 'Approval' means acknowledgment, no objection certificate, consent, registration, permission, license and such other similar instrument by whatever name called, <sup>2</sup>[required under any law] with regard to the establishment or operations of an enterprise in the State of Punjab;  
(b) "Approved Industrial Park" means an Industrial Area, Industrial Focal Point, Industrial Estate, Mixed-use Industrial Park,

<sup>1</sup> Substituted for words "newly incorporated Micro, Small and Medium Enterprises" by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 2

<sup>2</sup> Substituted for words "required under any Punjab law" by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 3(i)

Special Economic Zone (SEZ), Textile Park, Biotech Park, Information Technology (IT) Park, Industrial Township, Growth Centre, Food-Processing Park or any other similar project approved by the competent authority of the Government or

the Central Government, as the case may be;

- (c) "Certificate of In Principle Approval "means an approval referred to in section 10 of this Act;  
<sup>1</sup>[(ca) "CRO Report" means duly approved report for the proposed project from the concerned Circle Revenue Officer as notified by the Department of Revenue and Rehabilitation;]
- (d) "Competent Authority" means any department or agency of the Government or a local authority, statutory body, State owned corporation or board, Urban Development Authorities or any other authority or agency constituted or <sup>2</sup>[established by any law] or under administrative control of the Government which is entrusted with the powers or responsibilities to grant or issue approvals for the establishment or operation of an enterprise in the State;
- (e) "Declaration of Intent" means submission of relevant and accurate information, by <sup>3</sup>[an enterprise under any law] for the purpose of availing of the benefit under this Act;
- (f) "Deemed Approval" means an approval deemed to have been given on the expiry of a period specified under sub-section(3)of section 10 of this Act;
- (g) 'District Bureau of Enterprise' means the Bureau established under section 3 of this Act;

<sup>1</sup> Inserted by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 3(ii)

<sup>2</sup> Substituted for words "established by any Punjab law" by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 3(iii)

<sup>3</sup> Substituted for words "an enterprise under any Punjab law" by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 3 (iv)

- <sup>1</sup>[(ga) "Eligible Enterprise" means a new Enterprise or Existing Enterprise undertaking expansion provided the Enterprise going for expansion does not have any violations under the relevant Act; but Eligible Enterprise shall not include Real Estate Projects, Multiplex, Miniplex, Shopping Mall and Common Effluent Treatment Plant (CETP) Installations;]
- <sup>2</sup>[(h) "Enterprise" means a micro, small or medium enterprise, as defined in clause (e) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006; or large enterprise with Fixed Capital Investment (land, building and plant and machinery) up to the limit as may be notified by the Government;]
- <sup>3</sup>[(ha) "Existing Enterprise" means an Enterprise that has commenced commercial production or operations at the time of submitting the Declaration of Intent;]
- (i) "Government" means the "Government of the State of Punjab;
- <sup>4</sup>[(ia) "law" means any law enacted or adopted by the Legislature of the State of Punjab, or enacted by the Parliament of India and the Rules made or Notifications issued thereunder;]
- (j) "Nodal Agency" means the Nodal Agency referred to in section 5 of this Act;
- (k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (l) <sup>5</sup>[(l) "Real Estate Projects" means any commercial complexes or colony or project where permission under the Punjab Apartment and Property Regulation Act, 1995 is required and/or projects exempted under section 44 of the Punjab Apartment and Property Regulation Act, 1995;]

---

1 Substituted by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 3 (v)

2 Substituted by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 3 (vi)

3 Inserted by Punjab Act No. 1 of 2022, Section 2

4 Inserted by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 3(vii)

5 Substituted by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 3(viii)

- (m) "Scrutiny Committee" means the committee referred to in section 9 of this Act; and
- (n) "State" means the State of Punjab.
- Establishment of District Bureau of Enterprise.
3. (1) In order to strengthen and support the <sup>1</sup>[Eligible Enterprises] at the district level, the Government shall establish District Bureau of Enterprise in all districts of the State consisting of the following, namely: -
- (i) the Deputy Commissioner Chief Executive Officer of the district concerned;
- (ii) the General Manager, District Additional Chief Industries Centre Executive Officer
- (iii) <sup>2</sup>[the other members of the District Bureau of Enterprise] as may be notified by the Government from time to time.
- (2) The respective District Industries Centre shall be the Secretariat for the District Bureau of Enterprise.
- Powers and functions of District Bureau of Enterprise
4. Subject to the superintendence, direction and control of the Government, the District Bureau of Enterprise shall have the following powers and perform the following functions, namely. -
- (i) to facilitate the process of filing the Declaration of Intent and issuance of Certificate of In Principle Approval;
- (iii) to redress grievances of the <sup>3</sup>[Eligible Enterprises];
- (iv) to create awareness and capacity building of all stakeholders including the officials of the Government; and
- (v) any other function so assigned by the Government for facilitation and promotion of <sup>4</sup>[Eligible Enterprises] in the State.
- Nodal Agency.
5. (1) There shall be a State Nodal Agency at the State level which shall be headed by the Director, Industries and Commerce consisting of such other members as may be notified by the Government from time to time. It shall work under the overall superintendence, direction and control of the Government.

<sup>1</sup> Substituted for words "Micro, Small and Medium Enterprises" by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 4

<sup>2</sup>Substituted for the words "the other members of the Enterprise" by Punjab Act No. 1 of 2022Section 3

<sup>3</sup>Substituted for words "Micro, Small and Medium Enterprises" by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 5 (i)

<sup>4</sup>Substituted for words "Micro, Small and Medium Enterprises" by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 5 (ii)

Powers and functions of District Nodal Agencies.

(2) The District Bureau of Enterprise shall be the District Nodal Agency which shall work under the overall superintendence, direction and control of the Government through the State Nodal agency.

6. (1) The State Nodal Agency shall have the following powers and perform the following functions, namely: -

- (a) to monitor, supervise and review the overall functioning of the District Nodal Agency;
- (b) to coordinate and liaise with the concerned departments at the State and Central level; and
- (c) to review and take a decision on the appeal filed under clause (a) of section 12 against the orders of District Nodal Agency and ensure time bound redressal of grievances.

(2) The District Nodal Agency shall have the following powers and perform the following functions, namely: -

- (a) to assist and facilitate <sup>1</sup>[Eligible Enterprises] in the State;
- (b) to maintain a record of 'Declaration of Intent' as may be received and to issue a Certificate of In Principle Approval, under this Act;
- (c) to review and decide the application filed under clause (b) of section 12 and ensure time bound redressal of grievances; and
- (d) to coordinate with the other departments of the Government at the district level.

(3) The Government may assign such other powers and functions to the nodal agencies as it may deem fit for giving effect to the provisions of this Act.

---

<sup>1</sup>Substituted for words "Micro, Small and Medium Enterprises" by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 6

- Filing of Declaration of Intent. <sup>1</sup>[7. The Eligible Enterprise willing to avail the Certificate of In Principle Approval, shall furnish to the District Nodal Agency a Declaration of Intent in the format and in the manner as may be prescribed.]
- Effect of the Certificate of In Principle Approval. 8. (1) A Certificate of In Principle Approval shall act as an approval, as defined in clause (a) of section 2 for the regulatory services under the Acts specified in section 18, for a period of three years and six months from the date of its issuance.
- (2) During the validity of Certificate of In Principle Approval, no competent authority shall undertake any inspection for the purpose of, or in connection with, any approval as defined in clause (a) of section 2, except on the basis of complaints as specified in sub-section (6) of this section.
- (3) A Certificate of In Principle Approval may be issued under section 10 to <sup>2</sup> [Eligible Enterprise] on receipt of a Declaration of Intent complete in all respects in the prescribed format.
- (4) The provision of a Certificate of In Principle Approval shall be optional and an enterprise may choose to avail the regular approvals from the concerned departments at any point of time.
- <sup>3</sup>(5) A Certificate of In Principle Approval shall not entitle a person to use a piece of land in deviation to the land use or any stipulations specified in the regional plan, notified master plan or Local Planning Area notified under the provisions of the Punjab Regional and Town Planning and Development Act, 1995. The applicant shall also adhere to the sitting guidelines for setting up industries issued by various departments.]
- (6) (a) In the case of complaints of serious nature, only the Head of the concerned authority alone may order inspection after recording reasons in writing for such an inspection.

<sup>1</sup> Substituted by Punjab Act No. 1 of 2022, Section 4

<sup>2</sup> Substituted for the words "a new Micro, Small and Medium Enterprises being set up in the State " by Punjab Act No.1 of 2022, Section 5

<sup>3</sup> Substituted by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 7 (i)

<sup>1</sup> [(b) The Inspecting Officer or the team of inspecting officers not below the rank of Joint Director shall be nominated by the Head of the concerned authority.]

(c) The inspection report shall be made available online to the enterprise and the concerned department within <sup>2</sup> [forty-eight working hours] after the inspection.

(7) During the course of validity of the Certificate of In Principle Approval, the enterprise shall at any time but not later than three years from the date of issue of the Certificate, apply to <sup>3</sup>[obtain] all applicable regular approvals from the concerned departments through <sup>4</sup>[the State single window system of Punjab].

Scrutiny Committee.

9. To examine and decide upon the applications received under sub-section (2) of section 10, there shall be a Scrutiny Committee for each district in the State which shall consist of the Deputy Commissioner concerned and such other members as may be prescribed. The Scrutiny Committee before making its decision may jointly or severally make a site visit, if so required, with prior notice to the applicant.

Issuance of Certificate of In Principle Approval

10. <sup>5</sup>[(1) For Eligible Enterprise being set up or operational in Approved Industrial Park(s) or Real Estate Project(s), the District Nodal Agency, upon receipt of Declaration of Intent, shall forthwith, issue a Certificate of In-Principle Approval within five working days to new and existing enterprise.

(2) For Eligible Enterprise being set up or operational outside the Approved Industrial Park(s) or Real Estate Project(s) and on areas, approved under the relevant regional plan or master plan or notified local planning areas, the decision to issue a Certificate of In Principle Approval shall be taken by the

<sup>1</sup> Substituted by Punjab Act No. 1 of 2022, Section 5

<sup>2</sup>Substituted for the words "forty-eight hours" by Punjab Act No. 1 of 2022, Section 5

<sup>3</sup>Substituted for the words "btain" by Punjab Act No. 1 of 2022, Section 5

<sup>4</sup> Substituted for words "the single window system of the Punjab Bureau of Investment Promotion (PBIP)" by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 7 (ii)

<sup>5</sup> Substituted by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 8

District Nodal Agency within a period of fifteen working days for new Enterprise and within eighteen working days for Existing Enterprise in accordance with the procedure, as may be prescribed.]

(3) In case the decision to issue the Certificate of In Principle Approval is not taken within the stipulated period specified in sub-sections (1) and (2), the same shall be deemed to have been issued by the District Nodal Agency.

<sup>1</sup>[(4) The District Nodal Agency may appoint an officer of the department concerned to inspect the Enterprise undertaking expansion before issuing a Certificate of in Principal Approval. The inspection report shall be made available to the District Nodal Agency within forty-eight working hours after the inspection]

Revocation of a Certificate of in Principle Approval.

11. (1) In the case of any willful submission of false and fraudulent information in the <sup>2</sup> [application/Declaration of Intent or violation] of any provisions of the relevant rules, the Certificate of In Principle Approval shall be revoked by the District Nodal Agency after giving an opportunity of being heard.
- (2) In addition to any action that may be taken for violation under any law for the time being in force, any unauthorized construction shall either be demolished by the owner or by the concerned authority at the risk and cost of the owner.

Appeal.

12. Any eligible enterprise, which has applied or has been issued a Certificate of In Principle Approval under this Act, may file-
- (a) an appeal within a period of thirty days from the date of rejection of application or any other cause referred to in clause (b) to the State Nodal Agency if a Declaration of Intent filed for grant of the

<sup>1</sup> Inserted by Punjab Act No. 1 of 2022, Section 6

<sup>2</sup> Substituted for words “application or violation” by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 9

Certificate of In Principle Approval has been rejected by the competent authority; and  
 (b) subject to the action taken in pursuance of the provisions of sub-section (6) of section 8, if an enterprise having a valid Certificate of In Principle Approval under this Act is being enquired or inspected or being compelled for submission of documents for its establishment and/or operation of its business, an application for redressal of grievances, if any, before the District Nodal Agency.

Protection of action taken in good faith.

13. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer or other employee of the Government or the Nodal Agency or any other competent authority, for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act for the facilitation of <sup>1</sup>[Eligible Enterprises].

Power to make rules.

14. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Every rules made by the Government under this Act, shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of ten days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule, or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, however, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Power to remove difficulties.

15. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the same:

---

<sup>1</sup>Substituted for words “Micro, Small and Medium Enterprises” by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 10

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

Exemption.

16. When the Government or any authority under it is empowered to exempt any enterprise from any approval or inspection or any provisions relating thereto under any Central Act, the Government or, as the case may be, any such authority shall, subject to the provisions of such Central Act, exercise such powers to grant such exemption to an enterprise established in the State for at least a period of three years and six months from the date of issue of the Certificate of In Principle Approval.

Savings.

17. Nothing in this Act shall be construed as exempting any enterprise from the application of the <sup>1</sup>[provisions of any law] for the time being in force, or any regulatory measures and standards prescribed there-under, except to the extent expressly provided in this Act.

Act to override other laws.

18. (1) Notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other Punjab laws, for the time being in force, the provisions of this Act shall have an overriding effect.

<sup>2</sup>[(2) The provisions of the following State enactments and the rules made by the State Government under any enactment shall be deemed to have been amended, if so required, to conform with the provisions of this Act in so far as these are necessary to implement the provisions of this Act, namely:-

Serial no.	Acts/Rules/Department	Services
1.	The Punjab Municipal Act,1911 and The Punjab Municipal Corporation Act,1976	1. Sanction of Building Plans 2. Issuance of Completion Certificate-cum-Occupation Certificate for Buildings. 3. Grant of trade license.

<sup>1</sup> Substituted for words “provisions of any Punjab law” by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 11

<sup>2</sup> Substituted by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 12 (i)

2.	The Punjab Regional and Town Planning and Development Act, 1995 (As per existing by-laws)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Change of land use (CLU)</li> <li>2. Sanction of Building Plans.</li> <li>3. Issuance of Completion Certificate for Buildings.</li> <li>4. Issuance of Occupation Certificate for Buildings.</li> </ol>
3.	The Punjab Fire Prevention and Fire Safety Act, 2024	Application for Fire No Objection Certificate
4.	The Punjab Factory Rules, 1952	Approval of Factory Building plan (except for industries involving hazardous process as per First Schedule of the Factories Act,1948)
5.	The Punjab Shops and Commercial Establishment Act, 1958.	Registration of Shop or Establishment
6.	The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (BOCW Act,1996)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registration of Principle Employer</li> <li>2. Registration under BOCW Act,1996</li> </ol>
7.	The Factories Act, 1948	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stability Certificate</li> <li>2. Factory License</li> </ol>
8.	The Water (Prevention and	1. Consent to Establish (Within

	Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981	Approved Industrial Park-White, Green and Orange category of industries) (Outside Approved Industrial Park-White and Green category of industries) 2. Consent to operate (White and Green category of industries)
9.	Department of Forest and Wildlife Preservation, Punjab	No Objection Certificate (NOC) for no forest land
10.	Punjab Small Industries and Export Corporation Ltd. (PSIEC) as per bye-laws	1. Sanction of Building Plans 2. Issuance of Completion Certificate-cum- Occupation Certificate for Buildings]

<sup>1</sup>[(3) The categories of industries not covered under Serial Nos. 8 and 9 of sub-section (2), may take separate approval from the Punjab Pollution Control Board (PPCB) and Government of India (GoI) under the Forest (Conservation) Act, 1980, respectively, as may be applicable, and the application under the Act shall be processed for the remaining services under sub-section (2).

(4) For those enterprises where Environmental Clearance (EC) is required and the same is yet to be obtained, the Certificate of In-Principle Approval shall be granted subject to the condition that the applicant shall compulsorily get EC from the competent authority before the start of construction at the site.

<sup>1</sup> Added by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 12 (ii)

(5) For those enterprises where forest land is involved and for which approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 from Government of India (GoI) is needed, the Certificate of In-Principle Approval shall be granted subject to the condition that the applicant shall compulsorily get forest clearance approval from the competent authority before the start of construction at the site.]

Fees.

19. The statutory application fee, inspection fee or any other fees <sup>1</sup>[chargeable under any law], notified from time to time, in respect of actions, services and approval as referred to in section 18 shall be payable online to all the relevant authorities at the time of filing of declaration of intent and before the issue of the "Certificate of In-Principle Approval", by the applicant.

---

<sup>1</sup> Substituted for words "chargeable under any Punjab law" by Punjab Act No. 14 of 2025, Section 13